

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 747
गुरुवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता

747. श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री देवजी पटेल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विगत छह महीनों के दौरान सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के माध्यम से जीवाश्म ईंधन की लागत में 5.2 बिलियन डॉलर की बचत की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऊर्जा की माँग को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

- (क) सरकार ने ऐसा कोई आकलन नहीं किया है।
- (ख) और (ग): सरकार ने कॉप-26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधनों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करके और प्रिंट एवं मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार करके अक्षय ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। शुरू की गई योजनाओं की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

“नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता” के संबंध में पूछे गए दिनांक 07.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-747 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

चल रही प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल सुविधाओं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती है। इस प्रकार, योजना के तहत देश में युटिलिटी स्तर की सौर परियोजनाओं के त्वरित विकास में सहायता की जाती है।
2. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ, स्वदेशी निर्मित सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग करके ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)
3. उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'
4. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैंड-अलोन सौर विद्युत कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के लिए दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलती है, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियां बच जाती हैं।
5. ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्रों के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II: इस कार्यक्रम के तहत बेसलाइन से अधिक, रूफटॉप सौर में क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए आवासीय क्षेत्र को सब्सिडी और डिस्कॉमों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली तैयार करना। कुल 10 राज्यों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। (जीईसी के दोनों चरणों पर विचार करते हुए)।
 - (i) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I
 - (ii) इन्ट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II
7. जैव ऊर्जा कार्यक्रम:
 - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम: शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेष से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम
 - बायोमास कार्यक्रम: ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
 - बायोगैस कार्यक्रम: पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।
8. अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम (सहायता कार्यक्रम)
9. अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, फैलोशिप, इंटरशिप, अक्षय ऊर्जा के उन्नयन के लिए लैब अपग्रेडेशन और रिन्युएबल एनर्जी चेर के लिए सहायता जैसे घटकों के साथ मानव संसाधन विकास योजना।
10. ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से 19744 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई।